प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

2021 का सी.आर.ए. संख्या 967 (2021)

रामशरण सिंह पिता रामकुमार सिंह, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी– ग्राम बसदाई (मंदिर पारा) पुलिस चौकी बसदाई, थाना– सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– जिला दण्डाधिकारी सूरजपुर

---प्रत्युत्तरदाता

अपीलार्थी की ओर से : सुश्री पायल जैन, अधिवक्ता

प्रत्युत्तरदाता /राज्य की ओर से : श्री प्रवीण श्रीवास्तव, अधिष्ठित अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी व

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय एस. अग्रवाल, न्यायाधीशगण

बोर्ड पर निर्णय

द्वारा– श्री गौतम भादुड़ी, न्यायधीश

17.08.2023

1. यह दाण्डिक अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) द्वारा विशेष सत्र विचारण क्र. 08/2019 में पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत अपीलार्थी को भारतीय दण्ड विधान (संक्षेप में भा. द. वि.) की धारा 363, 366 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी ठहराया गया है तथा क्रमशः 7 वर्ष के कठोर (सश्रम) कारावास एवम् रु 500/– का अर्थदण्ड, 7 वर्ष के कठोर कारावास एवम् रु 500/– का अर्थदण्ड तथा 20 वर्ष के कठोर कारावास एवम् रु 500/– का अर्थदण्ड तथा व्यतिक्रम के स्वाभाविक अनुबन्धों का दण्डादेश दिया गया है।

2. संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता, पीड़िता के पिता द्वारा 11.01.2019 पर एक रिपोर्ट दी गई थी कि उसकी बेटी 02.01.2019 के बाद से लापता पाई गई है और जांच के बाद, वह नहीं मिली और आशंका जताई गई कि प्रलोभन से, अपीलकर्ता/आरोपी नाबालिग लड़की को माता–पिता की वैध हिरासत से ले गया और शादी के बहाने उसने यौन संबंध बनाए, इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 363,366,376 (2) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

3. अन्वेषण उपरान्त पुलिस ने आरोप– पत्र दायर किया और मुकदमे के दौरान, अपीलार्थी/अभियुक्त ने दोष अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की । अभियोजन पक्ष ने अपनी ओर से 11 गवाहों का परीक्षण कराया तथा विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर उपरोक्त दण्डादेश सुनाया कि अभियोक्त्री की आयु 16 वार्ष से न्यून थी तथ अभियुक्त द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। इसलिए यह अपील की गई है।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुश्री पायल जैन का तर्क है कि अभियोजन पक्ष पीड़िता के नाबालिग होने हेतु उस की आयु प्रमाणित करने में विफल रहा है। आगे उनका तर्क है कि अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष यह दर्शाने हेतु प्रामाणिक सबूत नहीं रखा गया था कि अभियोक्त्री कथित घटना की तारीख को नाबालिग थी । आगे यह तर्क किया गया है कि केवल विद्यालय प्रवेश पंजी (दाखिल खरीज) जिसे अ. सा .–1, प्रधानाध्यापक द्वारा साबित किया गया है, के आधार पर अनुमान लगाया गया था, परन्तु अ. सा .–1 उक्त दस्तावेज़ का लेखक नहीं था और पिता अ. सा .–5 का कथन दर्शाता है कि उक्त प्रविष्टि किसी आंगनबाड़ी प्रमाणपत्र के आधार पर की गई थी, परन्तु उसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। आगे उनका तर्क है कि माता अ.सा.–6 का कथन यह दर्शाने हेतु अस्पष्ट है कि उसकी पुत्री की आयु 15 से 16 वर्ष थी । ऐसे में उस कारक को चिकित्सक (अ.सा. –7) के कथन के साथ देखते हुए, अभियुक्त/अपीलार्थी को 2 वर्ष की आयु के संदेह का लाभ दिया जाए । आगे उनका तर्क है कि दस्तावेज़ यह दर्शाते हैं कि बरामदगी पंचनामा प्र .P–3 थाने में तैयार किया गया था तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अभियोक्त्री का कथन भी अपीलार्थी को किसी भी यौन कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वह आगे बताएगी कि माँ अ.सा.–6 का बयान यह दिखाने के लिए अस्पष्ट है कि उसकी बेटी की उम्र 15 से 16 वर्ष है। डॉक्टर (अ.सा.–7) के बयान के साथ पढ़े गए उस कारक को देखते हुए, अभियुक्त/अपीलार्थी को 2 वर्ष की आयु के संदेह का लाभ दिया जाएगा।वह आगे प्रस्तुत करेगी कि दस्तावेज़ यह दिखाने के लिए जाएंगे कि बरामदगी (बारामदगी) पंचनामा प्र.P–3 पुलिस स्टेशन में तैयार किया गया था और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अभियोजक का बयान भी अपीलार्थी को किसी भी यौन कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता है। वह प्रस्तुत करेगी कि परिस्थितियों में, तथ्यों से पता चलता है कि अभियोजक को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसे गाली और तिरस्कार देकर घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था।नतीजतन, किसी भी सिद्ध तथ्य के अभाव में कि वह अपीलार्थी के साथ थी, दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि अभियोजन पक्ष दाखिल खरीज रजिस्टर के आधार पर अभियोजन पक्ष की उम्र साबित करने में सक्षम था, जिसका आरोपी द्वारा साक्ष्य में खंडन नहीं किया गया है और एफएसएल रिपोर्ट भी स्लाइड पर शुक्राणु की उपस्थिति के बारे में तथ्य की पुष्टि करती है, परिणामस्वरूप एफ.एस.एल. रिपोर्ट के साथ अभियोजन पक्ष का बयान दिखाएगा कि अपीलकर्ता द्वारा उसकी इच्छा के खिलाफ उसका यौन उत्पीड़न किया गया था, इसलिए, दोषसिद्धि और सजा अच्छी तरह से योग्य है, जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. हमने पक्षों के वकील को सुना है, सीखा है और पूरे रिकॉर्ड का बारीकी से अध्ययन भी किया है।

7. सबसे पहले, विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या अभियोजक घटना की तारीख को 16 वर्ष से कम था, अर्थात 02.01.2019। अभियोजन पक्ष ने स्कूल प्रवेश (दाखिल खरीज) रजिस्टर प्र.P–1C पर बहुत अधिक भरोसा किया, जो अ.सा.–1 द्वारा साबित होता है, जिसमें जन्म तिथि 26.05.2003 के रूप में दिखाई गई है। स्कूल के प्राचार्य अ.सा.–1 के बयान से पता चलता है कि वह इस तरह के दस्तावेज़ के लेखक नहीं थे।वह आगे कहते हैं कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि उक्त जन्म तिथि किस आधार पर लिखी गई थी और इसकी पुष्टि करने के लिए कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया था।दाखिल खरीज रजिस्टर के उक्त दस्तावेज को प्रिंसिपल से जब्त किया गया था।पीडब्लू–2 दादी ने अभियोजक की आयु 15 वर्ष बताई। दादा पीडब्लू–3 ने भी आयु 15 वर्ष बताई है लेकिन साथ ही कहा कि उन्हें जन्म तिथि के बारे में पता नहीं है।इसलिए, केवल मौखिक बयान दिए गए हैं।

8. पैरा 7 में पीड़ित के पिता (अ.सा.–5) का कहना है कि जब पीड़ित को स्कूल में भर्ती कराया गया था, तो उसका नाम उसके द्वारा पंजीकृत कराया गया था।उनका कहना है कि उम्र के संबंध में आंगनवाड़ी दस्तावेज़ के आधार पर जन्म तिथि दर्ज की गई थी।मान लीजिए, आंगनवाड़ी का उक्त दस्तावेज पुलिस द्वारा जब्त नहीं किया गया था।पिता आगे बयान देते हैं कि पीड़ित का नाम स्कूल में पंजीकृत था, लेकिन उन्होंने उम्र के बारे में इस आशय की कोई घोषणा नहीं की है। माँ अ.सा.–6 अपनी बेटी की उम्र 15 वर्ष बताती है जबकि प्रतिपरीक्षा में वह स्वेच्छा से उसकी उम्र 15 से 16 वर्ष बताती है।पीड़िता की जांच करने वाले डॉक्टर अ.सा.–7 का कहना है कि मार्कशीट के आधार पर उसने अपनी उम्र 16 साल लिखी है और अभियोजन पक्ष द्वारा मार्कशीट दाखिल नहीं की गई थी। इसलिए, मार्कशीट में लिखी गई उम्र क्या थी, जिसके आधार पर डॉक्टर ने उम्र दर्ज की थी, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं की गई है।इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आंगनवाड़ी दस्तावेज़ की उपलब्धता के बावजूद, जो अभियोजक की उम्र को दर्शाता है, इसे अभियोजक द्वारा अभियोजक की उम्र को साबित करने के लिए पेश नहीं किया गया था।गवाहों के मौखिक बयान यानी पीड़ित के रिश्तेदारों के अलावा, कोई अन्य प्रामाणिक दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. आंगन बडी के जिन कागजातों के आधार पर पिता के बयान के अनुसार दाखिल खरीज रजिस्टर पर जन्म तिथि लिखी गई थी, वे रिकॉर्ड में नहीं हैं।इसी तरह मार्कशीट, जिसके आधार पर डॉक्टर द्वारा जन्म तिथि 16 वर्ष लिखी गई थी, भी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।इसलिए, डॉक्टर का बयान किसी दस्तावेज़ के आधार पर 16 वर्ष की आयु के रूप में दिखाया जाएगा और ऐसे दस्तावेज़ के अभाव में, यह सुरक्षित रूप से यह नहीं माना जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अभियोजक की आयु को साबित कर दिया है कि वह एक नाबालिग थी जो उचित संदेह से परे थी।
10.यौन हमले की ओर मुड़ना और पीड़ित को माता–पिता की वैध अभिरक्षा से निकालना, पिता (अ.सा.–5) और मां (अ.सा.–6) और पीड़ित (अ.सा.–4) के बयान प्रासंगिक होंगे। अ.सा.–5, पिता के बयान से पता चलता है कि 1 जनवरी 2019 को उनका पड़ोसी नया साल मना रहा था जिसमें उनकी बेटी पीड़ित भी मौजूद थी। लगभग 11 बजेः00 पी. एम., बिजली की विफलता हुई। उसके बाद जब उन्होंने लड़की को घर जाने के लिए खोजा तो वह वहां नहीं मिली। लगभग आधे घंटे के बाद उसका बेटा अपनी बेटी को अपने पड़ोसी के घर से ले आया और उसके बेटे ने बताया कि उसने पीड़िता को पकड़ लिया था और देवशरण पर पड़ोसी के घर पर उपहार देने का आरोप लगाया और डांटने के बाद उसे वापस लाया गया।जिस पर पिता ने उसे समझा दिया कि रात में इधर–उधर न घूमें।गवाह आगे बताता है कि अगले दिन, 10.00 बजे, वह काम के लिए बाहर गया और दो घंटे बाद वापस आ गया। लगभग 2 बजे उसकी बेटी घर से चली गई। इसके बाद, वह आई. जे. के घर के सामने राम शरण और उसके दोस्त से मिला और आरोपी से उसकी बेटी के ठिकाने के बारे में पूछा और धमकी दी कि अगर बेटी नहीं मिली तो वह उसके खिलाफ रिपोर्ट करेगा। इस तरह से, आरोपी और

गवाह के बीच हाथापाई हुई, जिसमें पीड़ित के दादा ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद, परिवार के सदस्य यानी राम शरण के भाई और साली वहाँ आए और कहा कि पीड़ित कहाँ है और कहा कि वे उसकी बहू (बहू) को अपने घर का बना लेंगे। इसके बाद घटना के दूसरे दिन, उसने बसदेई में पुलिस को घटना का खुलासा किया और नए प्रभारी के पुलिस स्टेशन आने के बाद, 11.01.2019 पर एक रिपोर्ट बनाई गई। रिपोर्ट को प्र.P–6 के रूप में चिह्नित किया गया है और एफ़. आई. आर. को प्र.P–7 के रूप में चिह्नित किया गया है।

11. इस तरह के बयान के एक विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि अपीलार्थी पर संदेह डाला गया था कि उसने लड़की को माता–पिता की वैध अभिरक्षा से दूर कर दिया है और उसे जबरन रखा है और जब ऐसे आरोप लगाए गए थे, तो अपीलार्थी द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था जो विवाद और हाथापाई में बदल गया। अ.सा. 6, माँ के बयान के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने अपदस्थ कर दिया है कि जनवरी के दूसरे दिन राम शरण के परिवार के सदस्य उनके घर आए और उनके पति सोमर साई और आरोपी के परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा हुआ। उस समय, उसके बेटी घर पर नहीं थी लेकिन उन्हें संदेह था कि राम शरण ने लड़की को बहकाया है। वह इस तथ्य की भी पुष्टि करती है कि आरोपी राम शरण के परिवार के सदस्यों ने लड़की को अपनी बहू के रूप में अपने घर लाने की चुनौती दी थी। इसके बाद, उसे पता चला कि अपीलार्थी ने बेटी को अपने घर में रखा है। प्रतिपरीक्षा में, माँ कहती है कि उसकी बेटी की जन्म तिथि उसके पति द्वारा दर्ज की गई थी। अतः पीड़िता के माता–पिता के कथन यह दर्शाते हैं कि अपीलार्थी के परिवार और पीड़ित के परिवार के बीच कुछ विवाद हुआ था क्योंकि पीड़िता के परिवार ने संदेह जताया था। पिता का कथन यह दर्शाता है कि पीड़िता को अपीलार्थी के घर से बरामद किया गया था। बारामदगी पंचनामा, प्र.P–3 से पता चलता है कि लड़की को आरोपी अपीलार्थी राम शरण की अभिरक्षा से बरामद किया गया था। कण्डिका 9 में पिता के कथन को पढ़ने से पता चलता है कि उसे एक सुझाव दिया गया था कि जब पीड़िता के साथ परिवार के सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, उस समय वह जयपाल नाम के पड़ोसी के घर में थी, परन्तु उसने इस सुझाओ को अस्वीकार किया और कहा कि उस समय पीड़िता अपने ही आवास पर थी।उसने आगे स्वेच्छा से कहा कि उसे रामशरण सिंह के घर से बरामद किया गया था। वह आगे इस तथ्य को स्वीकार करता है कि बारामदगी पंचनामा थाने में लिखा गया था और उस पर वहां उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।वह आगे इस तथ्य को स्वीकार करता है कि इस तरह के पुनर्प्राप्ति (बारमदगी) पंचनामे में जो कुछ भी लिखा गया था, उसके पास नहीं है। उसने इसे देखा लेकिन पुलिस के कहने पर उसने हस्ताक्षर कर दिए।

12. प्र.पी.3 के अवलोकन से पता चलता है कि बरामदगी पंचनामा का स्थान ग्राम बसदेई मंदिर पारा दर्शाया गया है। इसमें स्थान अपीलार्थी का घर होना नहीं दर्शाया गया है जबकि अगे के कथन दर्शाते हैं कि वह अपीलार्थी के घर से बरामद हुई थी। इसलिए, अ.सा. 5, पिता, वसूली का स्थान के बयान के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

साथ प्र.P–3 की संचयी रीडिंग भी संदिग्ध हो गई है कि वह अपीलार्थी के घर से 11.1.2019 पर बरामद की गई थी।

13. अब पीड़ित अ.सा. 4 के बयान पर वापस आते हुए, वह बताती है कि 1 जनवरी 2019 को वह अपने पड़ोसी जयपाल के घर गई थी जहाँ नए साल के जश्न का कार्यक्रम हुआ था। उस समय आरोपी राम शरण आया और उसे उपहार जैसा गुलदस्ता दिया, जिसे उसके भाई ने देखा। उसके भाई ने उपहार की निंदा की और पीड़िता को डांटा और उसे अपने घर ले गया जहां उसके पिता ने भी उसे डांटा। इसके बाद अगले दिन आरोपी ने उसे जयपाल के घर बुलाया। जब वह सुबह वहाँ गई, तो आरोपी ने उसे अपने घर में नहीं रहने की सलाह दी क्योंकि उसके परिवार के सदस्य उसे पीटेंगे और उसे आगे एक जगह यानी आम की नाली पर आने की सलाह दी गई ताकि वह उसे लेने आए। इसके बाद, राम शरण और एक ईश्वर मोटरसाइकिल पर वहाँ आए और उसे बताया कि उसकी माँ और भाई उसे फोन कर रहे थे, लेकिन शुरू में मना करने के बाद, वह 10 लोगों के साथ चली गई। उसे अभियुक्त के घर ले जाया गया जहाँ बाद में, उसके साथ यौन संबंध बनाए गए। वह बताती है कि अगले दिन यानी 3 जनवरी को, पंच के पति हिरेंद्र और अन्य ग्रामीणों द्वारा एक पंचनामा तैयार किया गया था, उस समय उसके दादा को भी बुलाया गया था जो अ.सा. 3 हैं और ग्रामीणों ने कहा कि अगर वह राम शरण छोड़ देती है। उसे सोसायटी से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसके बाद, हिरेंद्र ने लड़की को रामशरण के परिवार के सदस्यों को सौंप दिया। इसके बाद, वह वहाँ रही और 10 दिनों के बाद एक रिपोर्ट दर्ज की गई जिस पर पुलिस ने उसे बरामद कर लिया, उसका बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया जो प्र.P–5 के रूप में साबित होता है जिसे वह स्वीकार करती है। इसके अवलोकन से पता चलता है कि पीड़िता के दादा ने उसे अपने घर पर रखने से इनकार कर दिया और तीन–चार दिनों के बाद, उसके पिता ने एक रिपोर्ट बनाई। मामले के तथ्यों की स्थिति में, चूंकि पीड़ित की उम्र स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा साबित नहीं हुई थी, यदि पीड़ित के आचरण का विश्लेषण किया जाता है तो यह पता चलेगा कि जब वह अपने परिवार द्वारा छोड़ी गई थी तो वह स्वेच्छा से दूसरे के साथ थी। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए बयान में पीड़िता द्वारा यौन संभोग के तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था। बयान के अनुसार वह अपने दम पर पुलिस स्टेशन आई थी, इसलिए रामशरण के कब्जे से अ.सा.3 की बरामदगी अ.सा. 4, पीड़ित और अन्य गवाहों के बयान से नकार दी गई प्रतीत होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अ.सा. 7 के रूप में जाँच की गई डॉक्टर ने कहा कि उसने 11 की जाँच की पीड़ित और पीड़ित के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई और उसके अनुसार, वह हाल ही में किसी भी यौन संभोग के अधीन नहीं थी। पीड़ित का बयान पिता अ.सा. 5 के बयान को भी मजबूत करता है और अपने बयान में, वह इस तथ्य को स्वीकार करती है कि पुलिस को धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्र.D–

1 द्वारा बड़ी चूक की गई थी और इस तथ्य को भी स्वीकार करती है कि बयान उसके पिता के निर्देशों के अनुसार दिया गया था।

15. साक्ष्य की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और चूंकि पूर्वगामी कण्डिका में यह देखा गया है कि अभियोजक की आयु संदेह से परे साबित नहीं हुई थी और यह अस्पष्टता के तहत था और क्योंकि जिन सामग्री दस्तावेजों को पेश किया जाना चाहिए था, उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं रखा गया था, इसलिए, उम्र का पता लगाने के लिए, यह अन्यथा नहीं माना जा सकता है कि वह 18 वर्ष से कम उम्र की थी क्योंकि आरोपी अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा बयान के कथन से पता चलता है कि आरोपी के परिवार के सदस्यों और शिकायतकर्ता पक्ष के बीच कुछ झगड़ा हुआ था क्योंकि लड़की उपहारों का आदान–प्रदान कर पाने जितनी नज़दीक थी जिससे विवाद बढ़ गया तथा अपीलार्थी की हिरासत से लड़की की बरामदगी उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष द्वारा यौन संबंध भी उचित संदेह से परे साबित नहीं किया गया है । इन परिस्थितियों में, हम अपीलार्थी को संदेह का लाभ देने हेतु आनत हैं जिसका घटना दिनाँक को 19 वर्ष का होना प्रतीत होता है तथा जेल में है।

16. पूर्वगामी कारणों से, हम अपील को स्वीकृत करते हैं तथा अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हैं। चूंकि अपीलार्थी का जेल में होना बताया गया है, इसलिए यदि किसी अन्य अपराध के प्रकरण में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(गौतम भादुड़ी)
न्यायाधीश

सही/–
(संजय एस. अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**